उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनाँक ....माह ....वर्ष .... की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक व उत्तराधिकारी और अभ्यर्पित है और सम्मिलित है।

एक पक्ष और श्री/श्रीमती/कुमारी.........................**आयु लगभग .. वर्ष** पुत्र/पुत्री/पत्नी................पता.........................जिसको एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इचछुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्षों के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है किः–

चूँकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर .... तहसील .... जिला .... में भूमि विकास एवं गृह स्थान एवं बाजार योजना, अयोध्या के सेक्टर–......... में भूखण्ड संख्या–-------- का व्यय किया है और चूंकि उक्त परिषद ने **रूपयाः** .... /–(**रूपये** .... **मात्र)** जिसका आधा **रूपया** .... /– (**रूपये** ... . **मात्र)** होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति संख्या ....को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात् उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है। अतएव अब ने **रूपया** .... /–(**रूपये** .... **मात्र)** की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें एतत्द्वारा परिषद की भूमि विकास गृह स्थान एवं बाजार योजना अयोध्या में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना सम्पत्ति सं0–--------------- जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती हैः–

1. परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजना के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
2. एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

RPrasad

3. उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जाना है।
4. इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।
5. यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्ही दावों या माँगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्त–युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा/करेगी।
6. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेता को पंजीकरण की योजना से सम्बन्धित नियमों और अनुदेशों के अधीन क्रय किया है और इसमे ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किये जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जाये जिनमें से कुछ नीचे उद्धत किये जा रहें हैं:–

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **आवासीय प्रयोजन** के लिए किया जाएगा।

7. उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्रय किया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किये गए किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसे और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति संख्या ---------- पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को .... प्रतिशत की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने के विधिक रूप से हकदार होगी।
8. पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग **आवासीय प्रयोजन** के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा/करेगी और वह

RPrasad

विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9. इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या ---------- स्थित है, के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थिति भूमि मे किसी प्रकार का कोई हक संक्रमित नहीं होगा या संक्रमित नहीं समझा जायेगा।

10. क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

11. क्रेता द्वारा विद्युत, दूरभाष एवं अन्य सर्विस कनेक्शन स्वयं के व्यय से लिया जाना होगा।

12. पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगें।

13. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र अयोध्या का होगा।

जिसके साक्ष्य में **श्री ...., सम्पत्ति प्रबन्धक अधिकारी** ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री/श्रीमती/कुमारी........... .... आशयिता **सम्पत्ति संख्या–-----------------** के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

आवंटित भूखण्ड सं0–------------ जो निर्गत प्रदेशन पत्र संख्या– ....दिनांक–.............. छायाप्रति संलग्न के अनुसार उक्त सम्पत्ति संख्या–---------- का परिषद विक्रय मूल्य **रूपया .... /– (रूपये .... मात्र)** है। जिस पर ....प्रतिशत की दर से गणना करते हुये रूपया–..................../– के जरिए ई–स्टाम्प सर्टिफिकेट नं0–---------------- दि0–.................. के स्टैम्प पेपर पर विक्रय विलेख किया जा रहा है। इस लेख पत्र को उभयपक्षों ने पढ़, सुनकर, समझकर स्वीकार किया है।

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची :

सम्पत्ति संख्या श्रेणी व क्षेत्रफल–----------

भूखण्ड का क्षेत्रफल–............... वर्ग मीटर

सीमायें:–

उत्तर–	पूर्व–	मीटर
दक्षिण–	पश्चिम–	मीटर
पूर्व–	उत्तर–	मीटर
पश्चिम–	दक्षिण–	मीटर

RPrasad

साक्षीगणः–

1. हस्ताक्षर.......................................
2. नाम..
3. पता...
1. हस्ताक्षर.......................................
2. नाम..
3. पता...
1. हस्ताक्षर.......................................
2. नाम..
3. पता...
1. हस्ताक्षर.......................................
2. नाम..
3. पता...

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

(R.Prasad)
सम्पत्ति प्रबन्धक
(कृते आवास आयुक्त)

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर.......................................
2. नाम
पुत्र / पुत्री / पत्नी
3.पता–